

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 20 / 2016 (76 एल .आर. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :- 2016 / 00074

उनवान

विजेन्द्र पुत्र श्री रामचरन जाति मीणा निवासी ग्राम नगला हेतराम भूतौली तहसील वैर जिला भरतपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, वैर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध
आदेश न्यायालय अति० जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक
20.04.2016 प्र.संख्या 87 / 16 उनवानी विजेन्द्र बनाम
सरकार।

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलांट श्री नीरपाल सिंह कुन्तल उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक- 30.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति० जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार वैर ने आराजी खसरा नम्बर 454, 1229 / 456, 459 रकवा 4.03 बीघा वाके ग्राम भूतौली तहसील वैर पर अपीलाण्ट / अप्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल करने व 208 रुपये शास्ति एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी / अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति० जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति० जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2016 से खारिज कर दी। जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी पर अपीलांट का पूर्वजो के समय से ही अनवरत कब्जा काशत चला आ रहा है पूर्व में कई बार अदालत तहत द्वारा एवं अदालत हाजा द्वारा पुराना कब्जा अपीलांट का होने के कारण आवंटन कमेटी को अपीलांट के हक में नियमन करने की सिफारिश की जा चुकी है। परन्तु अपीलांट कानूनी प्रावधानों से अनभि एवं ग्रामीण किसान तथा अनपढ होने के कारण आवंटन की कोई कार्यवाही अपीलांट के हक में नहीं की गई है। जबकि मुताबिक कानून अपीलांट पुराने कब्जे के आधार पर विवादित आराजी का अपने हक में आवंटन कराने का पूर्ण अधिकारी है। विवादित आराजी बाबत उप जिला कलक्टर बयाना के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में अपीलांट का पुराना कब्जा बताया गया है एवं राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के पत्रांक 250 दिनांक 25.02.1989 से भी जिला कलक्टर को राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में अपीलांट के कब्जा शुद्ध भूमि का आवंटन करने के निर्देश दिये गये हैं। इस कारण से भी पुनः धारा 91 की कार्यवाही पोषणीय नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर द्वारा भी उक्त तथ्यों को ध्यान में लाये बिना अपील खारिज करने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश साइक्लोस्टाईल प्रपत्र पर पारित किया है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विपरीत हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट से प्रमाणित है। इस प्रकार अपीलांट एक पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही एवं शास्ति कायम करना उचित ही है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। विवादित आराजी की किस्म चारागाह है, जो सार्वजनिक उपयोग की है एवं किसी एक व्यक्ति के हितार्थ सार्वजनिक सुविधा को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। रा० भू० राजस्व अधिनियम(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 में अतिक्रमी को बेदखली के स्थान पर नियमन का प्रावधान अवश्य है परन्तु यह बाध्यकारी नहीं है। उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर नियमन करने अथवा ना करने का निर्णय लेना है। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन कमेटी ने अपीलांट का सन् 1970 से पूर्व का कब्जा ना मानते हुये, उपखण्ड अधिकारी ने गुणावगुण की समुचित विवेचना कर आवंटन सलाहकार समिति की सलाह अनुसार अपीलांट को विवादित आराजी के नियमन की अनुशंसा को निरस्त किया है। वैसे भी अतिक्रमण का नियमन किया जाना कोई वैधानिक अधिकार

नहीं होकर प्रशासनिक प्रक्रिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है एवं पूर्व में भी अपीलाण्ट के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही होना अंकित किया है। इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलाण्ट भी विवादित भूमि पर अपना कब्जा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अपीलाण्ट एक पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वैर द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही नियमानुसार की गई है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील सम्यक रूप से खारिज की गयी है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. हम अपीलाण्ट के इस तर्क में वजन पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का छपे हुए प्रपत्र पर आदेश पारित करना त्रुटिपूर्ण है। परन्तु अपीलाण्ट का उपरोक्त तर्क अधीनस्थ न्यायालय की कार्य प्रक्रिया पर तो प्रश्न चिन्ह है परन्तु प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु पर्याप्त एवं समुचित आधार नहीं है।
7. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official